

कार्यालय जिला शासकीय अधिवक्ता
पत्रांक: एसटी-डीजीसी-विविध- ८७ / २०२१

फौजदारी जनपद बुलन्दशहर।
दिनांक: २०/०३/२०२१

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा,
श्री ध्रुव कुमार वर्मा,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी
जनपद-बुलन्दशहर।

अभियोजन कार्यवाही में गुणवत्ता एवं गतिशीलता के दृष्टिगत आप लोगों के मध्य अभियोजन की कार्यवाही का निम्नानुसार कार्यवितरण किया जाता है।

- १- श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, ए.डी.जी.सी., मा० न्या० ए०डी०जे०-प्रथम बुलन्दशहर के स्थान पर मा० न्या० विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधि०), न्याय कक्ष सं०- ०२ में संयुक्त रूप से अभियोजन की कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
- २- श्री ध्रुव कुमार वर्मा, ए.डी.जी., मा०न्या० विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधि०), न्याय कक्ष सं०-०२ के स्थान पर मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष सं०-०१ बुलन्दशहर में अस्थाई रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अभियोजन की कार्यवाही करेंगे।

उपरोक्त आदेश दिनांक: २२/०३/२०२१ से प्रभावी होगा। आप अपने-अपने न्यायालयों में प्रभावी अभियोजन की कार्यवाही करते हुए अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।


(राहुल उपाध्याय)
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी
जनपद-बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:-

- १- श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बुलन्दशहर को सादर अनुमोदनार्थ प्रेषित।
- २- मा०न्या० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०-०१ बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ।
- ३- मा० न्या० विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधि०), न्याय कक्ष सं०-०२ बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ।